"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2012—श्रावण 5, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सवसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हितेन पटेल आ. श्री धनजी भाई पटेल, आयु 33 वर्ष, निवासी-धमधा रोड, वार्ड क्र.-11, कुम्हारी, थाना - कुम्हारी, तह. - धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन 490042 का हूं. यह कि मैं अपने वर्तमान नाम "किशोर कुमार पटेल" को परिवर्तित कर अपना नया नाम "हितेन पटेल" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे हितेन पटेल आत्मज श्री धनजी भाई पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
किशोर कुमार पटेल आ. - श्री धनजी भाई पटेल निवासी-धमधा रोड वार्ड क्रमांक -11, कुम्हारी थाना - कुम्हारी, तह.-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन - 490042	हितेन पटेल आ. - श्री धनजी भाई पटेल निवासी-धमधा रोड वार्ड क्रमांक -11, कुम्हारी थाना - कुम्हारी, तह.-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन - 490042

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दिव्या सिंह पति श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी-कतियापारा, जूना बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह 18-5-1997 को महेन्द्र प्रताप सिंह के साथ कतियापारा, बिलासपुर में हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी देवमाला शिव पिता श्री एल. जी. शिव, निवासी आमगांव, तह. आमगांव, जिला-भंडारा (महाराष्ट्र) था.

विवाह पश्चात् मैं अपने नाम का परिवर्तन कर अपना नया नाम श्रीमती दिव्या सिंह पति श्री महेन्द्र प्रताप सिंह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती दिव्या सिंह पति श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी देवमाला शिव पिता-श्री एल. जी. शिव निवासी-आमगांव, तह.-आमगांव जिला-भंडारा (महाराष्ट्र)	श्रीमती दिव्या सिंह पति-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी-कतियापारा, जूना बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनुराग बंसल पिता श्री विनोद कुमार बंसल, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी-कोतरा रोड, रायगढ़, तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.) का हूं. पूर्व में मेरा नाम अंकुर बंसल पिता श्री विनोद कुमार बंसल था, जिसे मैं परिवर्तित कर अपना नया नाम अनुराग बंसल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे अनुराग बंसल पिता श्री विनोद कुमार बंसल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
अंकुर बंसल पिता-श्री विनोद कुमार बंसल निवासी-कोतरा रोड, रायगढ़ तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	अनुराग बंसल पिता-श्री विनोद कुमार बंसल निवासी-कोतरा रोड, रायगढ़ तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार कुर्रे पिता श्री धनाराम, उम्र 44 वर्ष, निवासी -ग्राम-बरपाली, तहसील-करतला जिला-कोरबा (छ. ग.) हाल मुकाम- एन. बी. 29 ए बी टाइप कालोनी सी. एस. पी. जी. सी. एल. कालोनी, कोरबा (पूर्व), थाना व जिला-कोरबा (छ. ग.), का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम अशोक कुर्रे करनाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे अशोक कुर्रे करनाल पिता श्री धनाराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाय.

पुराना नाम

अशोक कुमार कुर्रे
पिता-श्री धनाराम
निवासी-ग्राम-बरपाली
तहसील-करतला
जिला-कोरबा (छ. ग.)
हाल मुकाम-एन. बी. 29, ए बी टाइप कालोनी
सी एस पी जी सी एल कालोनी कोरबा (पूर्व)
कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

अशोक कुर्रे करनाल
पिता-श्री धनाराम
निवासी-ग्राम-बरपाली
तहसील-करतला
जिला-कोरबा (छ. ग.)
हाल मुकाम-एन. बी. 29, ए बी टाइप कालोनी
सी एस पी जी सी एल कालोनी कोरबा (पूर्व)
कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीना युसुफ पति श्री मोहम्मद युसुफ, निवासी-सी-5, मैथलीशरण गुप्त अपार्टमेन्ट, टैगोर नगर, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. शादी के पूर्व मेरा नाम नरिन्दरजीत कौर गरेवाल पिता मलकीत सिंग गरेवाल था. शादी के पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीना युसुफ रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती नीना युसुफ पति श्री मोहम्मद युसुफ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

नरिन्दर जीत कौर गरेवाल
पिता-श्री मलकीत सिंग गरेवाल
निवासी-हुडको, भिलाई (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती नीना युसुफ
पति-श्री मोहम्मद युसुफ
निवासी-सी-5, मैथलीशरण गुप्त अपार्टमेन्ट
टैगोर नगर, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक कुमार मालवीय पिता स्व. गंगुप्रसाद मालवीय, निवासी-डाक बंगला वार्ड, धमतरी, तह. व जिला-धमतरी, स्थायी निवासी-थाना पारा, राजिम, तह. राजिम, जिला गरियाबंद (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उप नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम दीपक दुबे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे दीपक दुबे पिता स्व. गंगुप्रसाद दुबे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

दीपक कुमार मालवीय
पिता- स्व. गंगुप्रसाद मालवीय
निवासी-डाक बंगला वार्ड, धमतरी
तह. व जिला-धमतरी (छ. ग.)
स्थायी निवासी-थाना पारा, राजिम
पोस्ट व तह.-राजिम
जिला-गरियाबंद (छ. ग.)

नया नाम

दीपक दुबे
पिता-स्व. गंगुप्रसाद दुबे
निवासी-डाक बंगला वार्ड, धमतरी
तह. व जिला-धमतरी (छ. ग.)
स्थायी निवासी-थाना पारा राजिम
पोस्ट व तह.-राजिम
जिला-गरियाबंद (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. नुसरत ख्वाजा वल्द श्री जहीरूद्दीन ख्वाजा, उम्र 19 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी. III, शंकर नगर, सेक्टर 2, रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. पूर्व में मेरा नाम कु. नुसरत सबा वल्द श्री जहीरूद्दीन ख्वाजा था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक अंक सूचियों तथा अन्य दस्तावेजों में अंकित है को परिवर्तित कर अपना नया उपनाम नुसरत ख्वाजा रख ली हू तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे नुसरत ख्वाजा वल्द श्री जहीरूद्दीन ख्वाजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

कु. नुसरत सबा
वल्द-श्री जहीरूद्दीन ख्वाजा
निवासी-एल आई जी III,
शंकर नगर, सेक्टर 2, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

कु. नुसरत ख्वाजा
वल्द-श्री जहीरूद्दीन ख्वाजा
निवासी-एल आई जी III,
शंकर नगर, सेक्टर 2, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, भाटापारा, जिला - रायपुर

भाटापारा, दिनांक 30 मई 2012

प्ररूप क्रमांक 4
[देखे नियम 5 (1)]

क्रमांक /486/वाचक-1/अ. वि. अ./2012.— यह कि सुभाष तिवारी पिता तरूण तिवारी, निवासी-नयापारा वार्ड, भाटापारा, तहसील भाटापारा ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 30-06-2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	अंतर्राष्ट्रीय कामधेनु पर्यावरण सरंक्षण प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ट्रस्ट भाटापारा
2.	चल संपत्ति	:	5000-00/- पांच हजार रुपये नगद मात्र.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

राजेश नशीने
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2012

प्रकरण क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /416/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नेमी चंद जैन पिता स्व. सूरजभान जैन, निवासी 04 पार्क स्ट्रीट -2, चौबे कालोनी, रायपुर द्वारा दि रायपुर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, चौबे कालोनी, रायपुर, छ. ग. सामाजिक सांस्कृतिक एवं कल्याण सार्वजनिक न्यास, का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 27-07-2012 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	दि रायपुर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, चौबे कालोनी, रायपुर, छ. ग. सामाजिक सांस्कृतिक एवं कल्याण सार्वजनिक न्यास.
2.	चल संपत्ति	:	5000-00/- रु. नगद.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21-06-2012 को जारी.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2012

प्रकरण क्र./ / ब-113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /442/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिलिप कुमार मिश्रा पिता श्री सम्पत कुमार मिश्रा, निवासी राधास्वामी नगर, रायपुर ने मंगल मूर्ति ट्रस्ट किशोरी सदन के सामने राधास्वामी नगर, भाठागांव चौक, रिंग रोड नं. 1, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 27-07-2012 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	मंगल मूर्ति ट्रस्ट किशोरी सदन के सामने राधास्वामी नगर, भाठागांव चौक, रिंग रोड नं. 1, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5500/- रु. नगद.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21-06-2012 को जारी.

एस. के. अग्रवाल
अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

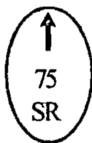
वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्रमांक /192/मा. चि. /जी/4705.—वन परिक्षेत्र अधिकारी, केरेगांव ने पत्र क्रमांक/811 दिनांक 25-06-2012 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये पासिंग हैमर वनरक्षक श्री होमन लाल साहू, परिसर रक्षी, सियादेही को कूप क्रमांक VIII R. D. F. सिरौद कक्ष क्रमांक पी. 162 के CBO कार्य हेतु जारी किया गया था, जिसे परिसर रक्षी द्वारा गुमा दिया गया है. हैमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहें.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा पासिंग हैमर को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हैमर की कीमत रुपये 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) वनरक्षक श्री होमन लाल साहू, परिसर रक्षी, सियादेही से वसूल करने का आदेश दिया जाता है, तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाना में या वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



एन. के. पाण्डेय
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्रमांक/उपंक/परिसमापन/2012/355.— बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, सिघनपुरी, पंजीयन क्र. 29, जिला कबीरधाम, छ. ग. की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-05, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास न करना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत दिनांक 03-11-2007 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था द्वारा पुनर्जीवन के निवेदन पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंक/ परी./10/386 कवर्धा दिनांक 26-10-10 को संस्था का आवेदन स्वीकार करते हुए पुनर्जीवित किया गया था. साथ ही समिति को प्रतिमाह कार्य प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय में प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न करने एवं कार्यालयीन निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र. 303 दिनांक 23-06-12 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाया जा रहा है, का लेख करते हुए सूचित किया गया था.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, सिघनपुरी, पंजीयन क्र. 29 को इस आदेश के दिनांक 05-07-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए श्री भूपेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, पद उप अंकेक्षक को बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, सिघनपुरी, पंजीयन क्र. 29 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 05-07-12 को जारी किया है.

कवर्धा, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्रमांक/उपंक/परिसमापन/2012/356.— बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, कोठार, पंजीयन क्र. 30, जिला कबीरधाम, छ. ग. की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-05, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास न करना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत दिनांक 03-11-2007 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था द्वारा पुनर्जीवन के निवेदन पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंक/परि./10/159 कवर्धा दिनांक 26-06-11 को संस्था का आवेदन स्वीकार करते हुए पुनर्जीवित किया गया था. साथ ही समिति को प्रतिमाह कार्य प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय में प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न करने एवं कार्यालयीन निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र. 301 दिनांक 23-06-12 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाया जा रहा है, का लेख करते हुए सूचित किया गया था.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, कोठार, पंजीयन क्र. 30 को इस आदेश के दिनांक 05-07-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकान्त श्रीवास, पद उप अंकेक्षक को बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, कोठार, पंजीयन क्र. 30 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 05-07-12 को जारी किया है.

कवर्धा, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्रमांक/उपंक/परिसमापन/2012/357.— बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, जेवडनखुर्द, पंजीयन क्र. 32, जिला कबीरधाम छ. ग. की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-05, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास न करना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत दिनांक 03-11-2007 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था द्वारा पुनर्जीवन के निवेदन पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंक/परि./10/387 कवर्धा दिनांक 26-10-10 को संस्था का आवेदन स्वीकार करते हुए पुनर्जीवित किया गया था. साथ ही समिति को प्रतिमाह कार्य प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय में प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न करने एवं कार्यालयीन निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र. 302 दिनांक 23-06-12 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाया जा रहा है, का लेख करते हुए सूचित किया गया था.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, जेवडनखुर्द, पंजीयन क्र. 32 को इस आदेश के दिनांक 05-07-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश जोशी पद उप अंकेक्षक को बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, जेवडनखुर्द पंजीयन क्र. 32 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 05-07-12 को जारी किया है.

कवर्धा, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्रमांक/उपंक/परिसमापन/2012/358.— बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, झिरौनी, पंजीयन क्र. 28, जिला कबीरधाम छ. ग. की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-05, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास न करना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत दिनांक 03-11-2007 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था द्वारा पुनर्जीवन के निवेदन पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंक/परि./10/388 कवर्धा दिनांक 26-10-10 को संस्था का आवेदन स्वीकार करते हुए पुनर्जीवित किया गया था. साथ ही समिति को प्रतिमाह कार्य प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय में प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न करने एवं कार्यालयीन निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र. 304 दिनांक 23-06-12 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाया जा रहा है, का लेख करते हुए सूचित किया गया था.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, झिरौनी, पंजीयन क्र. 28 को इस आदेश के दिनांक 05-07-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अविनिन्द्र शर्मा, पद उप अंकेक्षक को बहुद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्यादित, झिरौनी, पंजीयन क्र. 28 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 05-07-12 को जारी किया है.

कवर्धा, दिनांक 5 जुलाई 2012

संशोधन आदेश

क्रमांक/उपंक/परिसमापन/2012/359.— पूर्व कार्यालयीन आदेशानुसार बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति, गांगपुर, पंजीयन क्रमांक 31 का परिसमापक श्रीमती नीलम जोगी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कवर्धा को नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती नीलम जोगी के स्थान पर संत कुमार बघेल, उप अंकेक्षक को उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त किया जाता है

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

एम. के ध्रुव,
उप पंजीयक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.